

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

कोनी, बिलासपुर-495009 (छ.ग.)

दूरभाष : 07752-260209, फैक्स : 07752-260154

ई-मेल : ggvs.registrar@gmail.com, वेबसाइट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)

Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154

E-Mail : ggvs.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 447/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2025

बिलासपुर, दिनांक : 20.04.2025

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण

All Hon'ble Members

विद्यापरिषद्,

Academic Council

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

बिलासपुर (छ.ग.)

Bilaspur (C.G.)

विषय :- विद्यापरिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 20.04.2025 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

Subject :- Dispatch of minutes of 21st meeting of Academic Council dated 20-04-2025.

—0—

महोदय/महोदया,

Sir/Madam

विषयान्तर्गत, दिनांक 20.04.2025 को आयोजित विद्यापरिषद् की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न प्रेषित है।

Under the subject, the minutes of the 21st meeting of the Academic Council held on 20-04-2025 is enclosed for perusal and record.

आदेशानुसार/by order

A. Rane

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

पृ० क्रमांक 448/बै.प्र./विद्यापरिषद्/2025

बिलासपुर, दिनांक : 20.04.2025

प्रतिलिपि/Copy to :-

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
The Secretary to the VC for the information of the HVC.
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
The PA to the Registrar for information of the Registrar.
03. निदेशक, आईक्यूएसी/सहायक कुलसचिव-अकादमिक/प्रशासन/विकास/वित्त प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
Director, IQAC/Assistant Registrar - Academic/Administration/Development/Finance/Incharge University website for information and necessary action.
04. कार्यालय प्रति।
Office Copy.

A. Rane

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

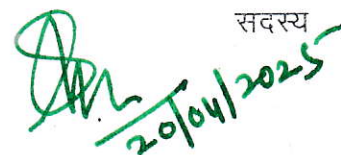
विद्यापरिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 20.04.2025 का कार्यवृत्त

विद्यापरिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 20.04.2025 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
03.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
04.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
05.	प्रो० सी.एस. वझलवार	सदस्य
06.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
07.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
08.	प्रो० रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
09.	प्रो० पी.पी. मूर्ति	सदस्य
10.	प्रो० सुधांशु रंजन मोहापात्रा	सदस्य
11.	प्रो० नीलकंठ पाणिग्रही	सदस्य
12.	डॉ० मुंशीराम	सदस्य
13.	प्रो० हरित झा	सदस्य
14.	डॉ० रत्नेश प्रसाद श्रीवास्तव	सदस्य
15.	प्रो० अमरनाथ कुमार ठाकुर	सदस्य
16.	प्रो० पारिजात ठाकुर	सदस्य
17.	प्रो० संजय पाण्डेय	सदस्य
18.	प्रो० सीमा पाण्डेय	सदस्य
19.	प्रो० रत्नेश सिंह	सदस्य
20.	डॉ० सस्मिता पटेल	सदस्य
21.	डॉ० धीरज शुक्ला	सदस्य
22.	प्रो० एस.एच. बोड़खे	सदस्य
23.	डॉ० राजकुमार नागवंशी	सदस्य
24.	प्रो० आर. सुब्रमोनी	सदस्य
25.	प्रो० सांवित कुमार पाढ़ी	सदस्य
26.	प्रो० गौरी त्रिपाठी	सदस्य
27.	प्रो० खेमचंद देवांगन	सदस्य
28.	प्रो० संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
29.	प्रो० अमित जैन	सदस्य
30.	प्रो० मनोज कुमार	सदस्य
31.	डॉ० सुदाकर सिंह चौहान	सदस्य
32.	प्रो० एस.पी. अन्बुदयाशंकर	सदस्य
33.	प्रो० एम.के. सिंह	सदस्य
34.	प्रो० एम.चक्रधर राव	सदस्य
35.	डॉ० नवजोत कौर कंवल	सदस्य
36.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव	सदस्य


Anand Kumar
20-04-2025


20/04/2025

37.	प्रो० राजेन्द्र कुमार चौबे	सदस्य
38.	प्रो० दिनेश कुमार मिश्रा	सदस्य
39.	प्रो० मनोरमा	सदस्य
40.	डॉ० जी.आर. तुरुपु	सदस्य
41.	डॉ० कपिल कुमार नागवंशी	सदस्य
42.	डॉ० अमरेन्द्र कुमार	सदस्य
43.	डॉ० आरती श्रीवास्तव	सदस्य
44.	डॉ० प्रिंसी मतलानी	सदस्य
45.	डॉ० ज्योति वर्मा	सदस्य
46.	डॉ० सुबल दास	सदस्य
47.	डॉ० अनामिका तिवारी	सदस्य
48.	डॉ० गीता मिश्रा	सदस्य
49.	डॉ० ए.के. शर्मा	सदस्य
50.	डॉ० अजय कुमार तिवारी, सागर (म.प्र.)	सदस्य
51.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
52.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
53.	प्रो० ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में ऑनलाइन उपस्थित थे :-

01.	डॉ० जे.के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, यू.जी.सी., नई दिल्ली	सदस्य
02.	प्रो० संजीत कुमार गुप्ता, कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ.प्र.)	सदस्य
03.	प्रो० रंजीत प्रसाद, सेवानिवृत्त आचार्य, जमशेदपुर (झारखण्ड)	सदस्य
04.	प्रो० मंजुनाथ स्वामी बी.ई.	सदस्य
05.	डॉ० एम.एस. धपोला	सदस्य

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

01.	श्री ब्रजेन्द्र शुक्ला, गुरुकुल, आईसीएस, अपर पलोर, एसबीआई, मेन ब्रांच, पुराना हाईकोर्ट रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
02.	प्रो० एच.एस. तिवारी
03.	प्रो० बी.डी. मिश्रा
04.	प्रो० अनुपमा सक्सेना

बैठक के प्रारंभ में, कुलसचिव द्वारा कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद् एवं विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद् द्वारा प्रेरणादायी उद्बोधन दिया गया।

इसके पश्चात् अध्यक्ष की अनुमति से विषय वस्तु पर चर्चा प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

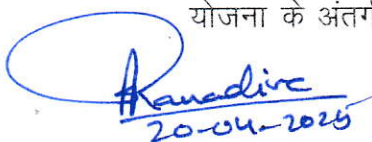
विषय क्र.-01 विद्यापरिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 24.12.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 24.12.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।


20.04.2025


20/04/2025

- विषय क्र.-02 विद्यापरिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 24.12.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।
- निर्णय :- विद्यापरिषद् की 20वीं बैठक दिनांक 24.12.2024 के पालन प्रतिवेदन से सदन अवगत हुआ एवं सूचना ग्रहण की।
- विषय क्र.-03 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक 24.12.2024, 10.01.2025, 21.01.2025, 30.01.2025, 05.02.2025, 21.02.2025, 26.02.2025, 06.03.2025, 17.03.2025, 30.03.2025 एवं 07.04.2025 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।
- निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.12.2024, 10.01.2025, 21.01.2025, 30.01.2025, 05.02.2025, 21.02.2025, 26.02.2025, 06.03.2025, 17.03.2025, 30.03.2025 एवं 07.04.2025 के कार्यवृत्तों का अनुमोदन किया गया।
- विद्यापरिषद् ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.04.2025 के कार्यवृत्त पर भी विचार किया एवं विचारोपरान्त कार्यवृत्त का अनुमोदन किया।
- विषय क्र.-04 केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम क्रमांक-48 की कंडिका (2)(10) के प्रावधानानुसार विद्यापरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट 06 (छः) शिक्षकों, जिनमें प्रत्येक स्तर से कम से कम एक शिक्षक हों, के नामांकन पर विचार।
- निर्णय :- विद्यापरिषद् ने यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम क्रमांक-48 की कंडिका (2)(10) के प्रावधानानुसार अकादमिक योजना, विकास एवं निगरानी बोर्ड में सदस्य के रूप में विद्यापरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट 06 (छः) शिक्षकों, जिनमें प्रत्येक स्तर से कम से कम एक शिक्षक हों, के सहयोजन हेतु कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद् को अधिकृत किया जाय।
- विषय क्र.-05 विभिन्न वर्ग के उम्मीदवारों के लिये सुपरन्यूमरेरी सीट सृजन करने संबंधी कृत-कार्यवाही की पुष्टि करने पर विचार।
- निर्णय :- विद्यापरिषद् ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न वर्ग के उम्मीदवारों के लिये गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सुपरन्यूमरेरी सीट सृजन करने संबंधी कृत-कार्यवाही की पुष्टि की जाय।
- विषय क्र.-06 विश्वविद्यालय की अभियांत्रिकी विद्यापीठ में वाटर रिसोर्सेज एण्ड एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में एम.टेक. एवं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में एम.टेक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव प्रारूप पर विचार।
- निर्णय :- विद्यापरिषद् ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की अभियांत्रिकी विद्यापीठ में वाटर रिसोर्सेज एण्ड एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में एम.टेक. एवं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में एम.टेक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।
- विद्यापरिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार दोनों कार्यक्रम स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित किये जाय।


20-04-2025


20/04/2025

विषय क्र.-07

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में "नियमित और एकल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों" के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :-

विद्यापरिषद् ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में "नियमित और एकल व्यावसायिक पाठ्यक्रमों" के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित अध्यादेश का अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.विषय क्र.-01

बैठक के दौरान विद्यापरिषद् के समक्ष सम्माननीय सदस्य प्रो० रंजीत प्रसाद के द्वारा "एक देश एक नाम भारत" संबंधी विषय प्रस्तुत किया गया एवं इस प्रस्ताव का समर्थन डॉ० अजय कुमार तिवारी, कुलाधिपति, स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, सागर (म०प्र०) द्वारा किया गया। विद्यापरिषद् के द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। विचारोपरान्त विद्यापरिषद् ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के दस्तावेजों, पत्रों, आदेशों, अंकसूचियों आदि में देश का नाम INDIA के स्थान पर हिन्दी एवं आंग्ल भाषा दोनों में ही "भारत" का उपयोग किया जाय।

बैठक के अंत में, कुलसचिव/सचिव ने अध्यक्ष महोदय तथा उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया।



(प्रो० ए.एस. रणदिवे)

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव



(प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल)

कुलपति/अध्यक्ष